छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांकः 107 (App.)/ II-13-9/2023

बिलासपुर, दिनांकः 21st दिसम्बर, 2023

इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को ''आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी)'' के रूप में कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित वेतन पर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम–2017 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

स.क्र.	नाम (श्री / श्रीमती / कु.)	पिता / पति का नाम (श्री)	पता	पद जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
1.	PRABHA DEWANGAN	SANDEEP KUMAR	476, RAM NAGAR, CHHATOUNA, POST-HIRRI MINES, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495222	UR (FEMALE)
2.	MADHU SINGH	LT. KAMAL SINGH	DIPU PARA, 89 NEAR PUMP HOUSE, TARBAHAR, WARD NO. 28, BILASPUR (C.G.)	UR
3.	RAM KAMAL SINGH THAKUR	LT. MELU SINGH THAKUR	BESIDE GUJRATI SAMAJ BHAWAN, TIKRAPARA, BILASPUR (C.G.)	UR
4.	TEJBAHADUR SINGH RAJPUT	KANHAIYA SINGH	68, SHIV MANDIR PARA, KODWA (BANI), CHARBHATHA, MUNGELI (C.G.) - 495334.	UR
5.	ARJUN YADAV	MANHARAN YADAV	YADAV MOHALLA, WARD NO. 8, VILLAGE-KOPRA, POST-BAHTARAI, TAH.-SAKRI, BILASPUR (C.G.)	UR
6.	SHAILENDRA SINGH RAJPUT	DHARAM SINGH RAJPUT	POST-SHARDHA, TAH.-LORMI, DISTRICT-MUNGELI (C.G.) 495115.	UR
7.	SANGITA RAJAK	LT. BHAGWAT PRASAD	WARD NO. 10, GURU GOVIND SINGH NAGAR, SIRGITTI, BILASPUR (C.G.) - 495004.	UR (FEMALE)
8.	REENA SINGH	MOHAN SINGH	VILLAGE-DEVTARI, P.O.-BEEJA, TAH.-TAKHATPUR, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) 495113.	UR (FEMALE)
9.	PRABHA TIWARI	MAHENDRA TIWARI	VILLAGE-BHATGAON, DAGORI, POST-SEWAR, TAH.-BODRI, (BILHA), DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	UR (FEMALE)
10.	BEENA SINGH	HEERA SINGH	VILLAGE-DAGORI, TAH.-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	UR

स.क्र.	नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पिता/पति का नाम (श्री)	पता	पद जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
11.	RAHUL SINGH RAJPUT	SHATRUHAN SINGH RAJPUT	VILLAGE-CHARBHATA, P.O.-KODWA (BANI), MUNGELI (C.G.) - 495334.	UR
12.	PRIYANKA	BHAGWAN SINGH THAKUR	VILLAGE & POST-GEEDHA, DISTRICT-MUNGELI (C.G.)	UR (FEMALE)
13.	MD. HASIM KHAN	SHAHADAT KHAN	VILLAGE-GAUBANDH KHARGAHNA, POST-LAMER, TAH.-TAKHATPUR, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	UR
14.	MANISHA YADAV	SAWANT RAM YADAV	WARD – 11, RAILWAY STATION ROAD, CHAKARBHATHA CAMP, BODRI, BILASPUR (C.G.) - 495220.	UR (FEMALE)
15.	SANTOSHI SAHU	SONSAY SAHU	BACHERAPARA, NEW BUS STAND, TIFRA, BILSPUR (C.G.)	UR (FEMALE)
16.	NISHA TIWARI	RAJENDRA TIWARI	VILLAGE-BHATGAON, POST-SEWAR, TAH.-BODRI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	UR (FEMALE)
17.	DURGESH KUMAR	BHAGAT RAM	H.NO.-2/1, CHANDAN CHOWK, VILLAGE-SUKLI, DISTRICT-MUNGELI (C.G.) 495115.	UR
18.	SANJAY AVCHAR	JAGESHWAR RAO AVCHAR	I 3/2, HIGH COURT COLONY, CHAKARBHATHA CAMP, BILASPUR (C.G.)	UR
19.	PREETI KSHATRI	NANDU KSHATRI	ABHILASHA PARISAR, EWS, BLOCK NO. 29, HOUSE NO. 339, BILASPUR (C.G.)	UR (FEMALE)
20.	SHALINI YADAV	SHIV SHANKAR YADAV	MAHAMAYA NAGAR, WARD NO. 64, BIRKONA, MOHALLA NEAR ATAL CHOWK PAN THELA, BILASPUR (C.G.)	UR
21.	ARUN KUMAR YADAV	DILHARAN LAL YADAV	VILLAGE-KOPRA, POST-BAHTARAI, THANA-HIRRI, TAH.-SAKRI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	UR
22.	MAYA SAHU	ANAND KUMAR SAHU	VILLAGE & POST -SAGAR, TAH.-TAKHATPUR, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	UR (FEMALE)
23.	JEETU SINGH	ROMAN SINGH	VILLAGE-PAWARJALI, P.O.-DAMAPUR (BAJAR), TAH.-PANDARIYA, DISTRICT-KABIRDHAM (C.G.)	UR
24.	AVINASH SINGH	REMAN SINGH	WARD NO. 10, JAI HIND NAGAR, GURU GOVIND SINGH NAGAR, SIRGITTI, BILASPUR (C.G.)	UR
25.	PAWAN KUMAR KAUSHAL	LT. KUMBHAJ LAL	VILLAGE-SALKA, P.O. & TAH.-SARGAON, DISTRICT-MUNGELI (C.G.) 495224.	UR

स.क्र.	नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पिता/पति का नाम (श्री)	पता	पद जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
26.	LILIYA YADAV	JUGENDRA SINGH YADAV	VILLAGE-CHECHANDEEH, POST-NAWADEEH, TAH.-LORMI, DISTRICT-MUNGELI (C.G.) - 495115.	UR (FEMALE)
27.	PARAMJEET KAUR	SATPAL SINGH	VILLAGE & POST-RUDRI, TAH. & DISTRICT – DHAMTARI (C.G.)	UR
28.	PRABHAT KASHYAP	AMARNATH KASHYAP	MAA DURGA BADA, SIRGITTI, BILASPUR (C.G.)	UR
29.	ARJUN DHURI	PARAS RAM DHURI	WARD NO. 13, DHURI PARA, MANGLA, BILASPUR (C.G.)	UR
30.	PREM SINGH	BHIKHU SINGH	VILLAGE & POST – HATHNIKALA, TAH.-PATHARIYA, DISTIRCT-MUNGELI (C.G.) 495334.	UR
31.	MAMTA	RAJKUMAR	VILLAGE & POST -GEEDHA,. TAH. & DISTRICT – MUNGELI (C.G.)	UR
32.	ABHISHEK KUMAR SIDAR	BABU LAL SIDAR	WARD NO. 18, BUS STAND, SUWADERA, P.O.-NANDORKALA, TAH. & DISTRICT-SAKTI (C.G.) 495689.	UR
33.	KUNDAN KUMAR SAHU	LALIT KUMAR	H.NO. 464, BLOCK NO. 39, EKTA CHOWK, KABIR NAGAR, POST-TATIBANDH, DISTRICT-RAIPUR (C.G.) 492099.	UR
34.	VISHNU PRASAD	HARIDAYAL	WARD NO. 12, VILLAGE-KHAIRA, POST-JAIRAMNAGAR, TAH.-MASTURI, BILASPUR (C.G.) 495550	UR
35.	MANISH KUMAR	BANSHI LAL	VILLAGE & POST – SEWAR, TAH.-BODRI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) 495224.	UR
36.	PUSHPA SURYWANSHI	GHANARAM SURYWANSHI	VILLAGE-KADAR, POST-SEWAR, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	UR
37.	DOLLY YADAV	FAGURAM YADAV	WARD NO. 14, SHARDA MANDIR, SIRGITTI, BILASPUR (C.G.) 495004.	UR
38.	DIVYASHANKAR	CHAITU RAM	VILL-& POST – BARTORI, TAH.-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495224.	OBC
39.	MANOJ SINGH	LT. KHORBAHARA SINGH	VILL.-& POST -BARELA, DISTRICT-MUNGELI (C.G.) 495330	UR-DIVYANG

स.क्र.	नाम (श्री / श्रीमती / कु.)	पिता / पति का नाम (श्री)	पता	पद जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
40.	SONAM SHARMA	PRAHLAD SHARMA	VILL & POST – TAGA, TAH.-AKALTARA, DISTRICT-JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 495668.	UR-DIVYANG
41.	SEEMA BHARTI	DHANNU BHARTI	KUDRAPARA, NEAR JAIT STAMBH, TIFRA, BILASPUR (C.G.) - 495001.	SC-FEMALE
42.	MANJULATA YADAV	GOPAL YADAV	VILLAGE-DODKI, POST-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495224.	OBC-FEMALE
43.	PREM KUMAR	AMRIT LAL	VILLAGE-GUMA, POST-BITKULI, TAH.-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) 495224.	ST
44.	MADHURI KAUSHIK	SOMNATH KAUSHIK	VILLAGE-BHATGAON, POST-SEWAR, TAH.-BODRI, THANA-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) 495224.	OBC-FEMALE
45.	SANGITA SAHU	RAVI KUMAR SAHU	VILLAGE-MACHKHANDA, POST-NARGODA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495001.	OBC-FEMALE
46.	PRIYANKA	DHARAMPAL	VILLAGE-KASKELA, POST-KARWAN, DISTRICT – SURAJPUR (C.G.) - 497001.	ST-FEMALE
47.	ANJU SHRIVAS	RAJKUMAR SHRIVAS	VILLAGE-KUWA, POST-JARONDHA, TAKHATPUR, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495330.	OBC
48.	SANGEETA	KALARAM	VILLAGE-KHAIRA, POST-JAIRAMNAGAR, TAH.-MASTURI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495550.	OBC
49.	SANDEEP BAGHEL	FIRAT BAGHEL	NEAR MURUM KHADAN, ASHOK NAGAR, KHAMTARAI, THANA-SARKANDA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495006.	SC
50.	KUSUMLATA SAHU	SUKHRAM SAHU	VILLAGE-KAWARDHA, H.NO. 118, WARD NO. 3, KAILASH NAGAR, DISTRICT-KABIRDHAM (C.G.) 491995	OBC
51.	GHANSHYAM MARKAM	MAHESH RAM	VILLAGE-SHARDA, POST-SEWAR, THANA-CHAKARBHATHA, TAH.-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495224.	ST
52.	SANJAY KUMAR	HEMLAL	A/342, NEW COLONY, KATGHORA DEVLADEEH, TAH.-KATGHORA, DISTRICT-KORBA (C.G.) 495445.	OBC

स.क्र.	नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पिता/पति का नाम (श्री)	पता	पद जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
53.	NARESH YADAV	GANESH RAM YADAV	VILLAGE-BOHARDEEH, POST-BITKULI, TAH.-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	OBC
54.	DIPTI SAHU	LATE KAMALNATH SAHU	GALI NO.-2, SHAMSHAN GHAT ROAD, INDIRA NAGAR, RAIGARH (C.G.) - 496001.	OBC
55.	RESHAMI PAL	LATE NIRAJ PAL	LOUDHA PARA, NAGAR PANCHAYAT- PATHARIYA, DISTRICT – MUNGELI (C.G.)	OBC
56.	GAYATRI SIDAR	GULAB SIDAR	KRISHNAPUR, URDANA BARIER, DISTRICT-RAIGARH (C.G.) 496001.	ST-FEMALE
57.	VINAY DHRUV	RAMAVTAR DHRUV	VILLAGE-SEMRA, P.O.-SINGHARI, WARD NO. 10, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495442.	ST
58.	KUNAL DHRUW	JAGANNATH DHRUW	POST – CHAKARBHATHA, WARD NO. 4, SHAHID BHAGAT SINGH, NAYAPARA, BODRI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495220.	ST
59.	PRASHANT UIKE	SURESH KUMAR UIKE	BODRI, INDIRA GANDHI WARD NO. 12, CHAKARBHATHA CAMP, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495220.	ST
60.	KULDEEP KUMAR	SUBHASH CHANDRA	VILLAGE-VINDHYASAR, POST-BAHTARAI, THANA-SAKRI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	ST
61.	SANGEETA GHRITESH	SANTOSH GHRITESH	VILLAGE-RANI SAGAR, PO-PIPARTARAI, TAH.-KOTA, DISTRICT-BILSPUR (C.G.) -495112.	SC-FEMALE
62.	LAKHAN DHRUW	RAJJU PRASAD	VILLAGE-KARHI, POST-DAGORI, THANA-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495224.	ST
63.	KARTIK RAM	LIL SINGH	VILLAGE-RAMDAIYA, PO – BITKULI, TAH.-BHATHAPARA, DISTRICT-BALODABAZAR (C.G.) 493118.	ST
64.	AJAY KUMAR	GOVARDHAN PRASAD	VILLAGE-KHAMARDEEH, POST-BARTORI, TAH.-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	ST
65.	ANIL KUMAR LAHRE	LT. GANESH RAM	VILLAGE-RAHANGI, PO-CHAKARBHATHA, TAH.-BODRI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495220.	SC

स.क्र.	नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पिता/पति का नाम (श्री)	पता	पद जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
66.	PRAMOD KUMAR NAVRANG	LT. SAUKH LAL NAVRANG	VILLAGE-RAHANGI, PO-CHAKARBHATHA, TAH.-BODRI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495220.	SC
67.	KHIKH RAM	RAJ KUMAR	VILLAGE-FARHADA, POST – GATORA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495550.	ST
68.	NARENDRA KUMAR ANANT	RAMESH KUMAR ANANT	KARGI ROAD, KOTA, LOKBANDH, THANA-KOTA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495113.	SC
69.	SATYAWATI KOSHLE	MAHAVIR KOSHLE	VILLAGE & POST-BARTORI, TAH.-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	SC-FEMALE
70.	RITESH SINGH NETAM	GOWARDHAN SINGH NETAM	VILLAGE-RAUNAKAPA, POST-KUKUSADA, THANA-PATHARIA, DISTRICT-MUNGELI (C.G.) 495335	ST
71.	POONAM BARMAN	SHARDA PRASAD	VILLA & POST – DHANGAON GOSAI, DISTRICT-MUNGELI (C.G.) 495330.	SC
72.	KAVITA	GOUTRIHA	VILLAGE-TIKAIT PENDRI, POST – ANDA, TAH.-PATHARIA, DISTRICT-MUNGELI (C.G.) 495224	ST-FEMALE
73.	GYANENDRA KUMAR	PADUM LAL	VILLAGE & POST – GATORA, TAH.-MASTURI, DISTRICT-BILASPUR (C.G.)	SC
74.	KISHOR KUMAR BANJARE	MOHAN LAL BANJARE	VILLAGE-SEVTI, POST-BARTORI, TAH.-BILHA, DISTRICT-BILASPUR (C.G.) - 495224.	SC
75.	ANNU KANWAR	KUNJBIHARI KANWAR	VILLAGE-MAHMADPUR, POST-BARGAWA, TAH.-AKALTARA, DISTRICT-JANJGIR CHAMPA (C.G.) 495552.	ST-FEMALE
76.	SONIKA	LOKNARAYAN	LOK NARAYAN, 551, UPERPARA, SAKRALI, DABHRA, DISTRICT-SAKTI (C.G.)	SC
77.	OMPRAKASH	SATYANARAYAN	SATNAMIPARA, POST-RASOTA, TAH.-PAMGARH, DISTRICT-JANJGIR-CHAMPA (C.G.) 495554.	SC

1. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी तथा वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के **First Schedule, Class-IV** के सरल क्रमांक 11. में दर्शाये अनुसार सौंपे गये समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे।

2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं इस नियुक्ति के आधार पर अभ्यर्थी के पक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियमित नियुक्ति/नियोजन का कोई अधिकार उद्भुत नहीं होगा एवं उनकी सेवायें कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।

3. **उन्हें दिनांक 08.01.2024 तक अनिवार्य रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा उक्त तिथि तक अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।**

4. **वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।**

5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

6. उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में उनकी नियुक्ति प्रारंभ से अकृत समझी जावेगी।

7. वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।

8. यह नियुक्ति पत्र, उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई जानकारी **"कि वे कक्षा 8वीं से अधिक योग्यता धारित नहीं करते हैं,"** जांच के अध्यधीन होगी एवं शपथ पत्र/घोषणा पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकेगी।

9. आवेदन पत्र में एवं उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/घोषणा पत्र में शैक्षणिक योग्यता संबंधी दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

10. वे कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर कि उन्होने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनको कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा और यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।

10. उनकी वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी) के सबसे अंतिम स्थान पर होगा तथा उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के नियम 12 (2) के तहत् उपरोक्तानुसार निर्धारित होगी।

11. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के

अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

12. "आरक्षित पद" के विरूद्ध चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न)

13. यह नियुक्ति पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड की जा रही है एवं चयनित अभ्यर्थी इस नियुक्ति पत्र के डाउनलोड प्रति के आधार पर भी उपरोक्त शर्तों के अध्ययधीन कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

सही/–
(अरविन्द कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां. क्रमांक 16989 / II-13-9/2023 बिलासपुर, दिनांकः 21st दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
3. रजिस्ट्रार (सतर्कता/आई.एण्ड ई./न्यायिक/एस.एण्ड.ए. सेल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
4. रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त आदेश को उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एन.आई.सी. शाखा को निर्देशित करने का कष्ट करें,
5. एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक/डी.ई. एण्ड ई./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. एडिशनल डायरेक्टर/एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर/डिप्टी डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
7. ओ.एस.डी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
9. डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
10. सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
11. अनुभाग अधिकारी (आवक–जावक शाखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश की प्रति संबंधितों की ओर रजिस्टर्ड डाक (ए.डी. सहित) प्रेषित करें, साथ ही तामिली पश्चात् तत्काल तामिली प्रतिवेदन स्थापना शाखा की ओर प्रेषित करें,
12. कोर्ट ऑफिसर/अनुभाग अधिकारी (लेखा/प्रोटोकॉल/कैश), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13. **सर्वसंबंधितों (सारिणी अनुसार सरल क्रमांक 01 से 77 तक)**, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ,

(अरविन्द कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल
21.12.2023

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र ...... वर्ष .... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण–पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

—7—

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त / समाप्त / अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / चयन / प्रदत्त लाभ / सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होउँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....

निःशक्तजनों (PWD) के लिए मेडिकल प्रमाण का प्रारूप

स्थान/हॉस्पीटल का नाम व पता ....

प्रमाण पत्र सं. .... दिनांक ....

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

Photograph .... **उपर दिये गये जगह में आवेदक के हस्ताक्षर**

1- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

पिता .... उम्र .... वर्ष लिंग– पुरूष/महिला

पहचान पत्र नीचे दर्शित अनुसार निम्न वर्ग के स्थायी निःशक्तता से हैः–

(ए) चलने–फिरने में रूकावट या मस्तिष्क पक्षाघात,

1. बीएल – दोनों पांव प्रभावित पर बांहे (Arm) नहीं,
2. बीए – दोनों बांहे प्रभावित – (ए) पहुंचने में बाधा
   (बी) नियंत्रण की कमजोरी
3. ओएल – एक पांव प्रभावित (दांया या बांया),
   (ए) पहुंचने में बाधा (बी) नियंत्रण की कमजोरी, (सी) ऐटॅक्सिक (Ataxic)
4. ओए – एक बांह प्रभावित (बांया या दांयां)
   (ए) पहुंचने में बाधा (बी) नियंत्रण की कमजोरी, (सी) ऐटॅक्सिक (Ataxic)
5. बीच – पीठ तथा कुल्हे की गठिया (बैठ या खड़ा न हो सकना)
6. एमडब्ल्यू – स्नायु संबंधी कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशीलता

(बी) दृष्टिहीनता (अंधत्व) या कम दृष्टि : 1. बी–अंधत्व, 2. बीपी – आंशिक अंधत्व

(सी) श्रवण बाधित (बहरापन) : 1. डी–बहरा, 4. पीडी– आंशिक बहरापन

(उस वर्ग को काट दें जो लागू नहीं होता)

2- स्थिति, प्रगतिशील/गैर प्रगतिशील है, सुधार होने की संभावना है/नहीं है। इस स्थिति का पुनः निर्धारण वर्ष .... माह .... की अवधि के बाद सिफारिश के योग्य नहीं है/सिफारिश के योग्य है।

3- उनमें निःशक्तता का प्रशितत .... प्रतिशत है।

4- श्री/श्रीमती/कुमारी .... अपने कार्यों के डिस्चार्ज के लिए निम्नलिखित शारीरिक जरूरतों को पूरा करता/करती है। 1

1. एफ– अंगुलियों के साथ कुशलता से कार्य निष्पादित कर सकता/सकती है। हॉ नहीं
2. पीपी– खींचने और धकेलने का कार्य कर सकता है। हॉ नहीं

3.	एल–	उठाने का कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
4.	केसी–	घुटने के बल तथा झुककर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
5.	बी–	तिरछा होकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
6.	एस–	बैठकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
7.	एसटी–	खड़े रहकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
8.	डब्ल्यू–	चलकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
9.	एसई–	देखकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
10.	एच–	सुनकर/बोलकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं
11.	आरडब्ल्यू–	पढ़कर/लिखकर कार्य कर सकता है।	हॉ	नहीं

डॉक्टर का हस्ताक्षर	डॉक्टर का हस्ताक्षर	डॉक्टर का हस्ताक्षर
नाम	नाम	नाम ....
पंजीयन क्र.	पंजीयन क्र.	पंजीयन क्र. ....

नोट:–1. निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) एवं (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हैं केन्द्र सरकार द्वारा 31.12. 1996 को अधिसूचित किये गये निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 के अनुसार निःशक्तता प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्थापित मेडिकल बोर्ड होंगे। राज्य सरकार भी कम से कम तीन सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड गठित कर सकता है जिसमें एक सदस्य किसी खास क्षेत्र लोकोमीटर/हियरिंग एवं स्पीच डिसएबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन तथा लेप्रोसी, जैसी भी स्थिति हो, का विशेषा होगा।

2. जिनकी निःशक्तता अस्थायी है, उनके लिए प्रमाण पत्र 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा। जिनकी निःशक्तता स्थायी प्रकार की है उनके लिए प्रमाण पत्र की वैधता को स्थायी के रूप में दिखाया जा सकता है।